2023/201

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

र्थी :– गजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र रघुवर सिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

र्थीगण :– रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकरियास हाल निवास भवानी कॉलोनी नागौर रोड़ डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. **92** सन्–......**2023**..

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07.2023	प्रार्थी गजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र रघुवर सिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण गजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र रघुवर सिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद ठाकरियावास, पटवार हल्का–दादूबासनी के खसरा नम्बर 322 रकबा 5.7300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 37 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, खसरा सं0 663/321 रकबा 2.8900 हैक्टे0, खसरा सं0 763/40 रकबा 6.9400 हैक्टे0, खसरा सं0 34 रकबा 6.4100 हैक्टे0, खसरा सं0 40 रकबा 8.6300 हैक्टे0 की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सीoपीoसीo [illegible] करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये [illegible] अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली [illegible] 2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:22:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

19/7/23 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी/प्रति० सं. 10 की ओर वकील रमेश्वर आकर ने व०आ० पेश किया जो शामिल मिसल रहे। वकील अप्रा० को प्रार्थी RF नोटिस पेश करें, पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 7/8/23 को पेश हो।

7/8/23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 18/8/23 को पेश हो।

18/8/23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 31/8/23 को पेश हो।

31/8/23 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 21/9/23 को पेश हो ।

21/9/23 प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहा गया तथा Not-press किया। अतः हस्ब स्वाहिश प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Not press
आवेदिका
21/9/23

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:22:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner